न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 15/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मोहनलाल पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी ग्राम पूनियों का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कजोड़मल पुत्र भगवानाराम।
2 अंकुर पुत्र हरीराम।
3 श्याना देव पत्नी हरीराम।
4 सुमन पुत्री हरीराम।
5 सन्जू पुत्री हरीराम।
6 गायत्री पुत्री हरीराम।
7 रचना पुत्री हरीराम।
8 मोहनी पत्नी रामकुमार।
9 महेश कुमार पुत्र रामकुमार।
10 भंवरलाल पुत्र रामकुमार।
11 सरदार पुत्र जालू।
12 मखन पुत्र जालू।
13 पेमाराम पुत्र देवाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14 सज्जन कुमार पुत्र प्रधान समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मीरजा बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 17/16 पुराना 1/2015 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी कजोड़मल बनाम मोहनलाल आदि दिनांकित 29.01.2018

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपत अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.11.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 (1/2015) में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा की धारा 251क के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 65 में से 12 फिट का रास्ता दिये जाने की मांग की। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 10.07.2015 से निर्णय पारित किया जिसके विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार किये जाकर निर्णय दिनांक 23.02.2016 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया इसके विरूद्व रिविजन माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 22.08.2016 से खारिज की जाकर इस न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया। इस न्यायालय के निर्णय की पालना में विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया इसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट का आवेदन पोषणीय नही है रेस्पोडेंट की भूमि से उत्तर में खसरा नम्बर 222 से होता हुआ रास्ता कटानी रास्ते में मिलता है जो लघुतम रास्ता है इसकी दूरी 288 मीटर है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा चाहे गये रास्ते एवं विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित रास्ते की दूरी 1152 मीटर है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लघुतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति पर कोई विवेचन किये बिना मनमर्जी आदेश पारित किया है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है प्रस्तावित एवं विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया रास्ता ही सुगम एवं आत्यांतिक आवश्यकता का है। अपीलांट अपने कथनों को साबित करने में असफल रहा है खसरा नम्बर 222 में से आवागमन की कोई रिपोर्ट नही है अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारणर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी द्वारा दिनांक 25.06.2015 को मौका निरीक्षण कर प्रार्थी रेस्पोडेंट की भूमि खसरा नम्बर 64/2 की पूर्वी सीमा से लगता हुआ खसरा नम्बर 222 अवस्थित होना एवं 222 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे एक आम रास्ता गुजरना अंकित किया है। प्रार्थी के खेत से इस आम रास्ते की दूरी 262 फिट होती है। जबकि विचारण न्यायालय ने बतौर आपत्ति अपीलांट उक्त कथन को बिना किसी विवेचन के खारिज कर अपीलांट की भूमि गत खसरा नम्बर 65 हाल खसरा नम्बर 125 में से कुल 1152 वर्गमीटर का रास्ता विचाराधीन आदेश से जारी किया है इस सन्दर्भ में हमारे द्वारा नजरी नक्शे एवं नक्शासीट का अवलोकन किया गया इससे जाहिर होता है कि अपीलांट की आपत्ति सही है राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम में लघुतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है नजरी नक्शे एवं नक्शासीट के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट की भूमि खसरा नम्बर 64/2 की पूर्वी सीमा से लगता हुआ खसरा नम्बर 222 अवस्थित है इस खसरा नम्बर 222 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे डोटेड लाईन से रास्ता अंकित है। रेस्पोडेंट की भूमि से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इस डोटेड लाईन के रास्ते तक की दूरी 262 फिट होना तहसीलदार की रिपोर्ट से साबित है। उसके बावजुद विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के अनुसार लघुतम रास्ता दिये जाने के विपरित विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के खेत में से 1152 मीटर का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय का यह आदेश विधि विरूद्व एवं मनमाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के अनुरूप रेस्पोडेंट स्वयं की भूमि से खसरा नम्बर 222 से लगते हुये आम रास्ते तक लघुतम रास्ते के लिए पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/11/18

(करतार सिंह पूनिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर